गिरती अर्थव्यवस्था : कारण और निवारण

साभार: फाइनेंसियल एक्सप्रेस
(03 अक्टूबर, 2017)

एम. गोविंद राव
(संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

यदि वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने का कोई भी प्रयास लक्ष्य को तोड़कर किया जाता है तो राजकोषीय समेकन के सभी प्रयास शून्य हो जाएंगे। इसलिए रेटिंग एजेंसियों को किसी भी ऐसे राजकोषीय आकस्मिकता के लिए लापरवाह नहीं होना चाहिए।

वर्ष की पहली तिमाही के दौरान जीडीपी के विकास में तेजी से गिरावट होने के बावजूद सरकार इस तथ्य से मुँह फेर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने मजबूत मैक्रो मूल सिद्धांतों के बारे में बात करना जारी रखा और वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी के विकास में 5.7% तक के मंदी को केवल 'लिटिल डीप' के रूप में वर्णित किया। वास्तव में, सरकार यह स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है कि विमुद्रीकरण ने अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुँचाया है। अभी फिलहाल यह उम्मीद की जा सकती है कि यशवंत सिन्हा, पूर्व वित्त मंत्री की कड़ी आलोचना के बाद सरकार को आधारहीन बहसों में शामिल होने की बजाय कुछ सकारात्मक कार्रवाई करने की प्रेरणा मिलेगी। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उपायों के बारे में कई रिपोर्टें मौजूद हैं और उम्मीद की जा रही है कि यह समस्या 'प्रोत्साहन' के दूसरे दौर में शामिल नहीं होगा, जो निवेश के माहौल के पुनरुत्थान में देरी कर सकता है।

अर्थव्यवस्था का धीमा होना चिंता का विषय है। पिछली तिमाही में 6.7% और पिछले वर्ष की समान तिमाही में 8.2% की तुलना में वित्त वर्ष 2016 की आखिरी तिमाही में सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में 5.6% की तेजी से गिरावट आई। वास्तव में, कृषि और सार्वजनिक प्रशासन को छोड़कर अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में गिरावट आई है और 3.6% से निर्माण क्षेत्र के विकास में पूर्ण गिरावट आई है। अगर सार्वजनिक प्रशासन (17%) और कृषि के विकास को बाहर रखा जाये, तो विकास दर 3.8% हो जाती है।

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीवीए ने अपरिवर्तित 5.6% वृद्धि के साथ यह रुझान जारी रखा। वास्तव में, ये अनुमान पूरी तरह से अनौपचारिक क्षेत्र पर मौद्रीकरण के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखते हैं और जब जीडीपी को संशोधित किया जाता है , तो मध्यम और लघु उद्यमों (एमएसएमई) के रूप में भी तेज मंदी देखने की संभावना रखते हैं जो गंभीर रूप से सकल घरेलू उत्पाद का 38% और निर्यात का 42% और 81 मिलियन से अधिक लोगों के रोजगार को प्रभावित करता है। जीवीए के प्रथम-तिमाही अनुमान से विनिर्माण की वृद्धि में 1.2% की गिरावट दर्ज की गई है, जो जीएसटी कार्यान्वयन के प्रभाव को आंशिक रूप से दर्शाती है। दूसरी तिमाही में भी हालात बेहतर नहीं होने की संभावना है और इस स्थिति में, अगर अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 18 के दौरान 6.5% पर बढ़ती है तो इससे हमें खुश हो जाना चाहिए।

दुर्भाग्य से, गतिरोध और जीएसटी के कार्यान्वयन के दो अवरोधों ने सकल घरेलू पूंजी संरचना (जीडीसीएफ) में गिरावट की मौजूदा संरचनात्मक समस्या को जोड़ा है। जीडीसीएफ ने वर्षों से निरंतर गिरावट देखी है और पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 31% की तुलना में इस साल की पहली तिमाही में इसकी स्थिति 29.5% (स्थिर कीमत) से भी कम रही। सीएमआईई के मुताबिक, शीर्ष 1,000 कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट निवेश में वृद्धि की दर 25 वर्षों में सबसे धीमी है, जो सिर्फ 5.8% तक है। इस साल अप्रैल-जून के दौरान पिछले कुछ वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये की औसत प्रतिबद्धता की तुलना में 98,000 करोड़ रुपये का निवेश प्रतिबद्धताओं में आई कमी को दर्शाता हैं।

इनमें से 25% निवेश विमानन क्षेत्र में किये गये हैं, जिसके बाद स्पाइसजेट और इंडिगो ने नए विमानों का आदेश दिया है और इसका घरेलू आर्थिक गतिविधि पर सीधा असर नहीं होगा। बाहरी पोर्टफोलियो निवेश में भी बाह्य प्रवाह शुरू हुआ है और अगस्त में, यह 12,770 करोड़ रुपये था। कॉरपोरेट सेक्टर के पास कोई सार्थक क्रेडिट नहीं है क्योंकि समस्या यह है, कि कॉरपोरेट्स उधार लेने के लिए तैयार नहीं हैं और बैंक उधार देने के लिए तैयार नहीं हैं।

देखा जाये तो इसका समाधान दोहरे बैलेंस शीट समस्या को शीघ्रता से हल करने में निहित है। दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के पारित होने के बावजूद, बैंकों की तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के निपटारे के लिए कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन की समस्या बढ़ती जा रही है। सरकार के पास बैंकों के पुनर्पूजीकरण के लिए बेसेल III मानकों के अपेक्षित स्तर तक पहुँच बनाने के लिए संसाधन नहीं हैं और इसलिए इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान होने की संभावना नहीं है। सरकार के लिए कई बैंकों के बहुसंख्य स्वामित्व को बांटने के लिए यह उपयुक्त समय है, ताकि बैंकिंग पेशेवर रूप से किया जा सके। बेशक, IBC लागू करने से मुद्दों को हल करने का प्रयास जारी रखना चाहिए।

इसके अलावा, स्थाई परियोजनाओं को पुन: आरंभ करना महत्वपूर्ण है जो कि तत्काल आधार पर संभव है। वित्त वर्ष 2010 की अंतिम तिमाही में 0.35 लाख करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष की पहली तिमाही में रुके हुए परियोजनाओं के अलावा 2.4 लाख करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। देखा जाये तो, पीपीपी पर केलकर समिति की रिपोर्ट पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। स्थगित सड़क परियोजनाओं को शीघ्रता से पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। बिजली परियोजनाओं पर कर्ज का बोझ काफी अधिक है, जिसका कारण आंशिक रूप से इसकी मांग में गिरावट और डिस्कॉम, जो बिजली की कम कीमत के कारण बिजली खरीद समझौते में प्रवेश करने से हिचक रही है।

राजकोषीय घाटे लक्ष्य को आराम से सरकार प्रोत्साहन प्रदान करने के बारे में सोच रही है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का तर्क है कि राजस्व घाटे और निवेश के लिए सरकारी उधार एक बाधा के रूप में नहीं होनी चाहिए और यही प्रासंगिक भी है। दुर्भाग्य से, घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत असीमित नहीं है और राजकोषीय घाटे के लक्ष्य का निर्धारण करने के लिए सरकारी ऋण को सीमित करना निजी क्षेत्र के लिए उधार लेने की जगह प्रदान करना है। वैसे भी केंद्र में जीडीपी के 3.2% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करना एक बड़ी चुनौती होगी।

आय कर के अग्रिम कर संग्रह में 11% की वृद्धि हुई है जो पिछले वर्ष 14% से कम है। यह अनुमान नहीं है कि बजट अनुमान में ग्रहण किए गए आयकर की 15.5% वृद्धि का एहसास होगा। जीएसटी ब्लूज को अभी खत्म करना है और कम से कम शॉर्ट टर्म में इसकी राजस्व उत्पादकता पर काफी अनिश्चितता है। आय घोषणा योजना तीसरी किस्त में लगभग 8,000 करोड़ रुपये ही ला सकी। 72,000 करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। इस तथ्य को नाकारा नहीं जा सकता कि विमुद्रीकरण ने आरबीआई के लाभांश में तेजी से कमी की है।

हम विमुद्रीकरण के बाद 3 लाख करोड़ रुपये के संदेहजनक जमाराशियों पर बहुत सी कार्रवाई के गवाह है, लेकिन राजस्व लाभ में यह किस तरह का परिणाम देगा, यह देखा जाना अभी बाकी है। राज्य स्तर पर स्थिति समान रूप से अनिश्चित है। इस प्रकार, समेकन के सभी प्रयास शून्य हो जाएंगे, यदि लक्ष्य से हटकर वित्तीय उत्तेजना प्रदान करने का कोई प्रयास किया गया तो रेटिंग एजेंसियों को किसी भी ऐसे राजकोषीय आकस्मिकता के लिए लापरवाह नहीं होना चाहिए।

इस माहौल में, आरबीआई को एक प्रतीक्षा और देखते रहने के दृष्टिकोण को अपनाने और वर्तमान दरों को सँभालने की आवश्यकता है। इस वजह से वित्तीय स्थिति के आसपास अनिश्चितता और संभवत: तेल की कीमत में वृद्धि होगी। परिवर्तनशीलता सीमित इसलिए भी है, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने मौद्रिक को आसानी से छोड़ दिया है और पहले से दो बार दरों में वृद्धि कर चुका है। निश्चित रूप से गेंद सरकार के पाले में है और इस बार उम्मीद है कि सरकार बहुत देर होने से पहले इस पर विशेष ध्यान दे देगी।

भगोड़ा आर्थिक अपराध विधेयक 2017

चर्चा में क्यों?

कानून मंत्रालय ने देश छोड़कर भागने वाले आर्थिक अपराधी और डिफॉल्टरों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार देने वाले विधेयक के मसौदे पर सहमति दे दी है। इस विधेयक को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा।

विधेयक से संबंधित महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस विधेयक के पारित होते ही यह कानून ऐसे मामलों में लागू होगा, जहाँ अपराध 100 करोड़ रुपए से अधिक के हो।
- यह आर्थिक अपराध करने वालों को देश छोड़कर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने वाले आर्थिक अपराधियों पर अंकुश लगाने पर जोर देता है।
- यह विधेयक, वित्तीय खुफिया इकाई को आर्थिक अपराधी को भगोड़ा घोषित करने और संपत्ति जब्त करने को लेकर आवेदन देने की अनुमति देता है।
- देखा जाये तो, एफआईयू वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाली तकनीकी खुफिया इकाई है, जिसे मनी-लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून के तहत अदालत को मामले की सुनवाई की जिम्मेदारी दी जाएगी।
- वित्त मंत्रालय ने विधेयक पर कैबिनेट नोट का मसौदा तैयार किया था और उस पर कानून मंत्रालय की राय मांगी थी। साथ ही विधेयक के प्रावधानों से सहमति जताते हुए इसमें एक 'विशेष छूट' का प्रावधान शामिल करने का सुझाव दिया गया है।
- विशेष छूट के प्रावधान का उद्देश्य प्रस्तावित विधेयक के प्रावधानों के कारण प्रभावहीन हो सकने वाले अन्य प्रावधानों के प्रभाव को बनाए रखना है।

क्यों महत्त्वपूर्ण है यह विधेयक?

- यह व्यापक रूप से देखा गया है कि बड़े आर्थिक अपराधी कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिये भारत से भाग रहे हैं। यह प्रवृत्ति भारत में कानून के शासन को कमजोर करती नजर आ रही है।
- ऐसे में एक प्रभावी, शीघ्र और संवैधानिक रूप से स्वीकार्य कदम उठाए जाने की जरूरत है, ताकि इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।
- इसी संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि सरकार इस तरह के भगोड़ों की परिसंपत्तियों को जब्त करने के लिये नया कानून लाएगी।
- 'भगोड़ा आर्थिक अपराध विधेयक 2017' नामक यह विधेयक जब पारित होकर कानून की शक्ल लेगा तो निश्चित ही देश छोड़कर भागने वाले आर्थिक मामलों से संबंधित अपराधियों को आसानी से कानून के गिरफ्त में लिया जा सकता है।

जी.एस.टी. क्या है?

- जी.एस.टी. पूरे देश के लिये एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जो भारत को एकीकृत साझा बाजार का रूप प्रदान करती है। जी.एस.टी. विनिर्माताओं से लेकर उपभोक्ताओं तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाला एक एकल कर है।
- प्रत्येक चरण पर भुगतान किये गए इनपुट करों का लाभ मूल्य संवर्धन के बाद के चरण में उपलब्ध होता है, जो प्रत्येक चरण में मूल्य - संवर्धन पर जी.एस.टी. को आवश्यक रूप से एक कर के रुप में परिवर्तित कर देता है।
- अंतिम उपभोक्ताओं को इस प्रकार आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाए गए जी.एस.टी. को ही वहन करना होता है।

जी.एस.टी. नेटवर्क क्या है?

- वस्तु और सेवा कर नेटवर्क (जी.एस.टी.एन.) नए कंपनी अधिनियम की धारा - 8 (इस धारा के तहत गैर-लाभकरी कंपनियों को शासित किया जाता है) के तहत एक गैर-सरकारी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है।
- जी.एस.टी.एन. के अंतर्गत भारत सरकार की इक्विटी 24.5% तथा भारत के सभी राज्यों सहित दिल्ली और पुडुचेरी संघ-शासित प्रदेशों तथा राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकारिता समिति की संयुक्त भागीदारी 24.5% है, जबकि 51% इक्विटी गैर सरकारी वित्तीय संस्थानों के पास है।

इस कंपनी को मुख्य रूप से वस्तु और सेवा कर (जी.एस.टी.) के कार्यान्वयन हेतु केंद्र और राज्य सरकारों, करदाताओं और अन्य हितधारकों को आई.टी. अवसंरचना और सेवाएँ प्रदान करने के लिये स्थापित किया गया है।

संभावित प्रश्न

बदलते वैश्विक परिदृश्य तथा घेरलू स्तर पर नोटबंदी तथा अन्य कारणों से जी.डी.पी. में गिरावट अवश्य आई है, लेकिन साथ ही यह हमारे लिये इस बात का संकेत भी है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएँ। इस कथन के सन्दर्भ में सरकार द्वारा क्या अपेक्षित कदम उठाये जाने चाहिए? चर्चा कीजिये।

There has been decline in GDP due to changing global scenario, demonetisation at domestic level and due to other resons, but it is also an indication for us to make our economy stronger. In the context of this statement what all expected measures should be adopted by the government? discuss. (200 words)